


	कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर	
क्रमांक:-	एफ-13(अति.मु.नं.नि/जननिग्रे/2020/17	दिनांक :- 18/01/2021

कार्यालय आदेश

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक एफ.59एस.टी.पी/डी.एल.बी/मॉ. रा.भ.वि.-2020(1205)/20/1678-80 दिनांक 27/11/2020 की पालना में व जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 दिनांक 07/01/2020 को जयपुर रीजन (चारदीवारी के अलावा) क्षेत्र हेतु अधिसूचित किये जाने के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 तुरंत प्रभाव से नगर निगम ग्रेटर, जयपुर क्षेत्र में लागू किये जाते हैं।


(यज्ञ मित्र सिंहदेव)आई.ए.एस
आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर


क्रमांक:- एफ-13(अति.मु.नं.नि/जननिग्रे/2020/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक आयुक्त महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
5. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक विधि, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
9. उपायुक्त (आयोजना), नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
10. समस्त ज़ोन उपायुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
11. जनसंपर्क अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
12. गार्ड फाईल व अन्य।


आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर